R. pub. certi. (16)

RESEARCH REVIEW JOURNALS

RESEARCH REVIEW
International Journal of Multidisciplinary

e-ISSN: 2455-3085
Impact Factor: 5.214

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

UGC Approved Journal
Journal No.: 44945

Journal is Indexed in
Google Scholar, IIJIF, SJIFactor, RESEARCH BIBLE, DRJI, GIF, UGC, Zenodo, Researcher ID [by Thomson Reutors]

Issued w.e.f. Nov-2018 Issue

CERTIFICATE OF PUBLICATION

This is to certify that Research Paper/ Article/ Case Paper entitled

"बीपीएल परिवार के लिए पात्रता मानदण्ड एवं बीपीएल विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का एक अध्ययन"

(नागौर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

Authored By

Bhagirath Saini & Dr.Bhabagrahi Pradhan

has been published in Volume-4 | Issue-01 | Jan-2019 in this International Peer Reviewed ISSN Indexed Online Research Journal.

Ref. No. RRJ20190401167
Issued Date: 20-Jan-2019
editor.rrjournals@gmail.com
www.rrjournals.com

RESEARCH REVIEW JOURNALS eISSN 2455-3085 AHMEDABAD

Chief Editor

Certificate Verification visit: http://rrjournals.com/View-Certificate

Research Review Journals All Rights Reserved

R. Pub. (16)

RESEARCH REVIEW JOURNALS Volume-04 Issue-01 January -2019
ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

"बीपीएल परिवार के लिए पात्रता मानदण्ड एवं बीपीएल विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का एक अध्ययन" (नागौर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

[1]Bhagirath Saini & [2]Dr.Bhabagrahi Pradhan

[1]Research Scholar, Dept. of Education, JVBI Ladnun (India)
[2]Assistant Prof., JVBI Ladnun, Rajasthan (India)

उद्देश्यः-

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य बीपीएल (Below Poverty Level) वर्ग के लिए सरकार एवं प्रशासन द्वारा बीपीएल वर्ग के परिवारों की पात्रता के लिए तय किए मानदण्ड तथा बीपीएल विद्यार्थियों की शैक्षिक, आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करना है। वर्तमान समय में बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों को अनेक शैक्षिक, आर्थिक, एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई गई है, जिसका शोधार्थी द्वारा इन योजनाओं का अध्ययन करने के लिए एक संक्षिप्त प्रयास किया गया हैं।

प्रस्तावनाः-

आर्थिक दृष्टि से समाज में तीन वर्ग धनिक, मध्यम तथा निर्धन पाए जाते हैं। तीनों वर्गों के खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार, सामाजिक स्तर आदि में अन्तर पाया जाता है। आज समाज में धनी व्यक्ति को अधिक सम्मान मिलता है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी वर्ग से क्यों न हो, अधिक धन प्राप्त करना चाहता है, जिससे उसकी स्थिति उच्च हो। इस प्रकार व्यक्ति एक वर्ग से दुसरे वर्ग में गतिशील हो जाता है।

आर्थिक स्थिति भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारक होती है। उच्च आर्थिक स्थिति के लोग सामान्यतः जाति व धर्म के बन्धन तोड़कर अपने बराबर के आर्थिक स्तर के परिवारों में विवाह सम्बन्ध कायम कर लेते है। सरकार का यही प्रयास रहता है कि जनता के बीच में आर्थिक आधार पर वर्ग संघर्ष की भावना कम हो तथा बीपीएल वर्ग भी उच्च वर्ग में सम्मिलित होकर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति कर सके।

2011 में हुई सामाजिक-आर्थिक गणना के सर्वे के अनुसार अब बीपीएल की पात्रता सूची में सरकार की नई गाइड लाइन अनुसार अब बीपीएल श्रेणी में चयन प्रक्रिया 'सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011' के अनुसार तय की जाएगी। जिसका वर्णन शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया हैं :-

निधर्नता रेखा :-

गरीबी रेखा या निधर्नता रेखा (Poverty line) आय के उस स्तर को कहते है जिस से कम आय होने पर व्यक्ति अपनी भौतिक जरुरत को पूरा करने में असमर्थ होता है। सामान्यतः भोजन,वस्त्र एवं घर की आवश्यकता पूर्ण होनी चाहिए।

भारत में योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि खानपान पर शहरों में 965 रुपये और गाँवों में 781 रुपये प्रति महीना खर्च करने वाले व्यक्ति को निर्धन नहीं माना जा सकता है। निधर्नता रेखा की नई परिभाषा तय करते हुए योजना आयोग ने कहा कि इस तरह शहर में 32 रुपये और गाँव में प्रतिदिन 26 रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सुविधा को पाने का हकदार नहीं है।

वर्ष 2002 से बीपीएल श्रेणी में चयनित कई परिवार अब बीपीएल योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाएगें। सरकार की नई गाइड लाइन अनुसार अब बीपीएल श्रेणी में चयन प्रक्रिया 'सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011' के अनुसार तय की जाएगी। नई गाइड लाइन में अब दुपहिया वाहन मालिक से लेकर लैंडलाइन फोन धारक तक इस श्रेणी से वंचित होंगे।

2011 में हुई सामाजिक-आर्थिक गणना के सर्वे के अनुसार अब बीपीएल की पात्रता सूची रविवार को पंचायत स्तर पर होने वाली ग्राम सभाओं में नए सिरे से तैयार की जाएगी। ताकि जनगणना के अनुसार अब तक

RRIJM 2015, All Rights Reserved